भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2777
दिनांक 12 दिसंबर, 2024 को उत्तरार्थ

उजानी बांध से एनटीपीसी की दोहरी पाइपलाइन

2777. सुश्री प्रणिती सुशीलकुमार शिंदेः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सोलापुर एनटीपीसी ने सोलापुर नगर निगम द्वारा नागपुर नगर निगम की तर्ज पर सोलापुर शहर को पेयजल की आपूर्ति हेतु उजानी बांध से राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) की दोहरी पाइपलाइनों में से एक पाइपलाइन का उपयोग करने के लिए भेजे गए प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (ख) : एनटीपीसी लिमिटेड, सोलापुर के ताप विद्युत संयंत्र ने विद्युत उत्पादन के लिए अपने 2 x 660 मेगावाट क्षमता वाले विद्युत संयंत्र की पानी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उजानी जलाशय से एनटीपीसी-सोलापुर तक 72 एमएलडी क्षमता की 2 पाइपलाइनों का डिजाइन और निर्माण किया है। सोलापुर नगर निगम (एसएमसी) को जलापूर्ति के लिए दो पाइपलाइनों में से एक को छोड़ने के लिए जिला प्रशासन, सोलापुर से अनुरोध प्राप्त हुआ है। एक पाइपलाइन की अनुपलब्धता एनटीपीसी सोलापुर से विद्युत के विश्वसनीय उत्पादन को प्रभावित करेगी क्योंकि संयंत्र की मानक जल आवश्यकता को पूरा करने के लिए दोनों पाइपलाइनों की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त, एकल लंबी दूरी की पाइपलाइन के मामले में, इसके बंद होने से संयंत्र को पानी की आपूर्ति पूरी तरह से बंद हो जाएगी।

तथापि, सोलापुर शहर और पड़ोसी परियोजना प्रभावित गांवों (पीएवी) को पेयजल आपूर्ति के लिए दिनांक 28.09.2016 को सोलापुर नगर निगम (एसएमसी) के साथ एक समझौता किया गया था। समझौते के अनुसार, एनटीपीसी ने उजानी बांध से पाइपलाइन सहित जल आपूर्ति अवसंरचना के संवर्धन के लिए चरणबद्ध तरीके से 250 करोड़ रुपये का भुगतान करने की प्रतिबद्धता जताई। एनटीपीसी ने अब तक 240.07 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया है।

****